

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मनमोहन व्यास , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 196/2018

वादीया :-

बनाम

प्रतिवादी

1. बाबुलाल पुत्र हरकाराम
2. जीयराम पुत्र हरकाराम
3. पिसता पुत्री हरकाराम
4. ढगलाई पत्नी हरकाराम  
जाति-जाट, निवासी-डिगरना,  
तहसील-जैतारण, जिला-पाली  
(राज.)

1. रामस्वरूप पुत्र घेवरराम
2. हापूराम पुत्र घेवरराम  
जाति-जाट, निवासी-डिगरना,  
तहसील-जैतारण जिला-पाली  
(राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकार

अधिनियम 1955

तारीख रजू: 18/07/2018

उपस्थित: 1. श्री ओमप्रकाश पंचारियां, अमित त्रिपाठी अधिवक्ता, वादी।

--: निर्णय :-

दिनांक:- 11/06/2019

वकील मय वादीया ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्ग धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत विरुद्ध वादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा-डिगरना, तहसील-जैतारण में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 761 रकबा 5-14 बीघा किरम बाराणी दोयम आयी हुई है। कृषि भूमि पैतृक पुश्तैनी है। जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदियों से स्पष्ट है। तथा वादीगण खातेदार काश्तकार व मौके पर कब्जे काश्त में है। तथा उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी से साबित है। तथा वादीगण के खेत के चारों ओर खंदक लगी हुई है। वर्तमान में बरसात का मौसम हैं वादीगण अपने खेत में ट्रेक्टर लेकर बुआई हेतु दिनांक 10/07/2018 को गये तथा खेत में तिल की फसल की बुआई कर रहे थे। इतने में प्रतिवादीगण मौके पर आये व वादीगण को बुआई करने से मना किया तब वादीगण ने यह कहा कि उक्त कृषि भूमि हमारे खातेदारी व कब्जे काश्त की है। प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नहीं है। फिर भी प्रतिवादीगण दखलंदाजी करने लग गये। यदि प्रतिवादीगण बिना किसी हक अधिकार के व धनबल लाठी के बल पर दखलंदाजी व गैर कानूनी कृत्य करते है तो वादीगण के हक अधिकार प्रभावित हो रहे है। इसलिए उपरोक्त कारणों से वादीगण ने यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। बिनाय वाद दिनांक 10/07/2018 को वादीगण के खेत में फसल की बुआई कर रहे थे तब प्रतिवादीगण ने बुआई करने से मना किया व दखलंदाजी करने लगे तब बमुकाम डिगरना तहसील जैतारण में पैदा हुआ।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण को बावजूद तामिली/ सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य का शपथ-पत्र पेश किया, सा0मि0 हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दरतावेजात यथा जमाबन्दी का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करते है। जबकि प्रतिवादीगण का उक्त आराजी में कोई हक हिस्सा नहीं है। लिहाजा वादीगण के कब्जे काश्त एवं किसी प्रकार की दखलंदाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित समझते है।

--: आदेश :-


अतः डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि राजस्व मौजा-डिगरना, तहसील-जैतारण में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 761 रकबा 5-14 बीघा किरम बाराणी दोयम में वादीगण के कब्जे काश्त एवं किसी प्रकार की दखलंदाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाकर पाबंद किया जाता है। डिक्री


उपखण्ड अधिकारी

पचा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेख्य भण्डार जमा हो।



दिनांक 11/06/2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण  
जिला.पाली (राज0)

  
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण  
जिला.पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- श्रीमनमोहन व्यास, आर0ए0एस0

वादी :-

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. बाबुलाल पुत्र हरकाराम
2. जीयराम पुत्र हरकाराम
3. पिसता पुत्री हरकाराम
4. ढ्गलाई पत्नी हरकाराम  
जाति-जाट, निवासी-डिगरना,  
तहसील-जैतारण, जिला-पाली  
(राज.)

1. रामस्वरूप पुत्र घेवरराम
2. हापूराम पुत्र घेवरराम  
जाति-जाट, निवासी-डिगरना,  
तहसील-जैतारण जिला-पाली  
(राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्ग धारा 88,


मु0न0 :रा0वा0 स0: 196/2018

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955,

एवं सहपठित धारा 136 एल. आर. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारियां, अमित त्रिपाठी अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुब्दई व मिनजानिब मुब्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि राजस्व मौजा-डिगरना, तहसील-जैतारण में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 761 रकबा 5-14 बीघा किरम बारानी दोयम में वादीगण के कब्जे काश्त एवं किसी प्रकार की दखलदांजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाकर पाबंद किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेख्य भण्डार जमा हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो। नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

सिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 11/06/2019 को जारी किया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
जैतारण (पाली)  
जैतारण, जिला-पाली (राज.)

मुब्दई	रूपये	पैसे	मुब्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01	- 00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	- 00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	06	- 00	महनताना वकील		
महनताना वकील		-	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	- 00	फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर		-	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		-	मुत्फरिक		

मिजान:-

10-00-

मिजान:-

-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।